



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"विधि प्रकोष्ठ वर्ग"
लोक निर्माण विभाग, देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Phone & Fax:- 0135-2531742, 2530431

E-Mail-eicpwwd@nic.in

Website-http://pwd.uk.gov.in

पत्र सं०- 2971/49वि०प्र०/19
सेवा में,

दिनांक 05/01/2019

समस्त मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
.....।

विषय:- रिट पिटिशन संख्या-295(एस०)(सिविल)/12 एस० राजशेखरन बनाम भारत संघ के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड सहस्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून के पत्रांक 5332/प्रवर्तन/स०सू०/01-08(3)/2018, दिनांक 24.12.2018 द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 06.12.2018 की प्रति एवं अवर सचिव, भारत संघ, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय, परिवहन भवन-1, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18.12.2018 की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए अनुरोध किया गया है कि उक्त निर्णय के अनुपालन में वर्ष 2013 से Pothholes के कारण हुई दुर्घनाओं की रोकथान हेतु किये गये कार्यों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सहित अनिवार्य रूप से दिनांक 27.12.2018 तक उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित कराने का अनुरोध किया गया है। ताकि भारत सरकार के पत्रानुसार दिनांक 28.12.2018 तक संकलित सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

अतः परिवहन आयुक्त के पत्र दिनांक 24.12.2018 की प्रति, अवर सचिव, भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.12.2018 की प्रति एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.12.2018 की प्रति संलग्न करते हुए इस आशय से प्रेषित है कि निर्णयानुसार लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित सूचना एक दिन के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

संलग्न:- यथोपरि।

(आ०सी० पुरोहित)
5/1/2019
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष।

प्रतिलिपि:- समस्त अधीक्षण अभियन्ता,वृत्त, लोक निर्माण विभाग,को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष।

